कार्यालय–उपनिदेशक(निर्माण)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0
नवीन मण्डी स्थल पीलीभीत रोड,बरेली

पत्रांक–नि0ख0बरेली / (निविदा) / 2026–48 दिनांक–15.04.2026

सेवा में,

सम्पादक,

1. दैनिक हिन्दुस्तान बरेली।
2. दैनिक जागरण, बरेली।
3. दैनिक विश्ववार्ता, बरेली।

महोदय,

कृपया संलग्न ''ई–निविदा सूचना'' अपने समाचार पत्रों में डी0ए0वी0पी0 सूचना विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर अधिकतम 09 (नौ) फान्ट में एवं हेडिंग अधिकतम 12 (बारह) फान्ट में तत्काल प्रकाशित करानें का कष्ट करें तथा प्रकाशनोपरान्त भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में एवं समाचार पत्र पॉच प्रतियों सहित कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भुगतान मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा।

संलग्नकः–''ई–निविदा सूचना'' पत्रांकः नि0ख0बरेली / (निविदा) / 2026–47 दिनांकः– 15.04.2026

भवदीय,

17/04/2026

उपनिदेशक(निर्माण)
मण्डी परिषद,बरेली।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. लेखाधिकारी, मण्डी परिषद, बरेली।
2. सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता / संगणक मण्डी परिषद, बरेली।
3. सम्बन्धित पत्रावली में अनुरक्षित करने हेतु।

17/04/2026

उपनिदेशक(निर्माण)
मण्डी परिषद,बरेली।

कार्यालयःउपनिदेशक(निर्माण),राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0
नवीन मण्डी स्थल, पीलीभीत रोड, बरेली

पत्रांकः नि0ख0बरेली/(ई–निविदा)/2026–47 दिनांकः– 15.04.2026

ई–निविदा सूचना

मण्डी परिषद निर्माण खण्ड बरेली क्षेत्रान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित कार्यो के मरम्मत (गड्ढामुक्ति योजनान्तर्गत) कार्यो हेतु वित्तीय रूप से सुदृढ एवं अनुभवी मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों से ई–निविदा दिनांक 07.05.2026 को शाम 5:00 बजे तक ऑनलाइन आमन्त्रित की जाती है। ऑनलाइन निविदा वेबसाइट–**https://etender.up.nic.in** पर दिनांक 07.05.2026 की शाम 3.00 तक डाउनलोड कर अपलोड की जा सकती है। निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 07.05.2026 को शाम 5.00 बजे एवं तकनीकी बिड उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त वित्तीय बिड अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में खोली जायेगी। उक्त निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उक्त निर्धारित समय के अनुसार ही तकनीकी बिड व वित्तीय बिड खोली जायेगी। कार्य का विवरण निम्नानुसार है।

क्र सं	कार्य का विवरण	कार्य की लागत (लाख में) जी.एस.टी. रहित	कार्य की अनुरक्षण लागत (लाख में) जी.एस.टी.रहित	निविदा का मूल्य 18% जी.एस.टी. सहित	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)	पंजीकरण श्रेणी
	जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत–						
1	मण्डी समिति पीलीभीत के क्षेत्रान्तर्गत सं0मा0 मझोला रोड पर टोडरपुर चौराहे से रामपुर बौरख तक मरम्मत कार्य। (लं0 1.70 कि0मी0)	43.09	2.40	8100.00	4.28	04 माह	'स'
2	मण्डी समिति पीलीभीत के क्षेत्रान्तर्गत सं0मा0 देवरनिया से फरदिया तक मरम्मत कार्य। (लं0 2.00 किमी0)	46.14	2.63	8700.00	4.44	04 माह	'स'
3	मण्डी समिति पूरनपुर के क्षेत्रान्तर्गत सं0मा0 खटीमा मार्ग से पिपरिया सन्तोष तक मरम्मत कार्य। (लं0 0.75 किमी0)	17.38	1.04	3300.00	1.85	03 माह	'द'
4	मण्डी समिति पूरनपुर के क्षेत्रान्तर्गत सं0मा0 बण्डा पूरनपुर मार्ग से सिकरहना तक मरम्मत कार्य। (लं0 1.05 किमी0)	27.35	1.53	5200.00	2.89	03 माह	'द'
	जनपद शाहजहॉपुर के अन्तर्गत–						
5	मण्डी समिति जलालाबाद के क्षेत्रान्तर्गत स0 मार्ग अल्लाहगंज बिलग्राम रोड से मानगढ प्रथम भाग सम्पर्क मार्ग तक मरम्मत कार्य। (लं0 0.55 किमी0)	18.80	0.78	3500.00	1.96	03 माह	'द'
6	मण्डी समिति जलालाबाद के क्षेत्रान्तर्गत स0 मार्ग अल्लाहगंज बिलग्राम रोड से मानगढ अवशेष भाग तक मरम्मत कार्य। (लं0 0.45 किमी0)	13.07	0.71	2500.00	1.38	03 माह	'द'
7	मण्डी समिति जलालाबाद के क्षेत्रान्तर्गत स0 मार्ग बगरखैत से गुलौली तक मरम्मत कार्य। (लं0 1.50 किमी0)	40.70	2.02	7600.00	4.28	03 माह	'स'
8	मण्डी समिति जलालाबाद के क्षेत्रान्तर्गत स0 मार्ग भौतईपुर से कीलापुर तक मरम्मत कार्य। (लं0 1.10 किमी0)	61.67	1.54	11200.00	5.17	03 माह	'स'
9	मण्डी समिति शाहजहॉपुर के क्षेत्रान्तर्गत स0 मार्ग जशनपुर से ब्रैडा तक मरम्मत कार्य। (लं0 1.50 किमी0)	27.82	1.80	5300.00	2.97	03 माह	'द'
10	मण्डी समिति शाहजहॉपुर के क्षेत्रान्तर्गत स0 मार्ग शाहजहॉपुर जलालाबाद रोड से अकरा रसूलपुर तक मरम्मत कार्य। (लं0 0.25 किमी0)	20.47	0.51	3800.00	2.10	02 माह	'द'
11	मण्डी समिति शाहजहॉपुर के क्षेत्रान्तर्गत स0 मार्ग डींगुर से सहजपुर तक मरम्मत कार्य। (लं0 2.71 किमी0)	47.09	3.25	9000.00	4.52	04 माह	'स'
12	मण्डी समिति पुवायॉ के क्षेत्रान्तर्गत स0 मार्ग इनायतपुर बिलन्दपुर रोड से बिलसा से रसूलपुर खुर्द (अम्बेडकर ग्राम) तक मरम्मत कार्य। (लं0 1.25 किमी0)	32.59	2.44	6300.00	3.51	03 माह	'द'
13	मण्डी समिति पुवायॉ के क्षेत्रान्तर्गत स0 मार्ग मंडनपुर कला से केशवपुर माफी तक मरम्मत कार्य। (लं0 1.00 किमी0)	14.28	2.14	3000.00	1.65	03 माह	'द'
14	मण्डी समिति पुवायॉ के क्षेत्रान्तर्गत स0 मार्ग भीखपुर से भोरखेड़ा तक मरम्मत कार्य। (लं0 1.00 किमी0)	22.69	2.00	4400.00	2.47	03 माह	'द'
15	मण्डी समिति पुवायॉ के क्षेत्रान्तर्गत स0 मार्ग पुवायॉ (जेवा तिराहे के आगे) से मुबारकपुर सम्पर्क मार्ग तक मरम्मत कार्य। (लं0 1.00 किमी0)	17.07	2.56	3500.00	1.97	03 माह	'द'
16	मण्डी समिति तिलहर के क्षेत्रान्तर्गत स0 मार्ग ढकिया रघा त्रिलोकपुर मार्ग से कविरचक सम्पर्क मार्ग तक मरम्मत कार्य। (लं0 0.50 किमी0)	10.10	0.86	2000.00	1.10	02 माह	'द'
17	मण्डी समिति तिलहर के क्षेत्रान्तर्गत स0 मार्ग मदनपुर बुधवाना मार्ग से बोरी रघुनाथपुर गौटिया तक मरम्मत कार्य। (लं0 0.50 किमी0)	8.96	0.67	2300.00	0.97	02 माह	'द'

नोटः–

1. बिड सिक्योरिटी हेतु निर्धारित धरोधर धनराशि, उपनिदेशक(निर्माण) मण्डी परिषद, बरेली के पदनाम, भारतीय स्टेट बैंक, एकता नगर, बरेली आई0एफ0एस0सी0 कोड–**SBIN0005362** के खाता सं0–**30394479771** में तथा निविदा प्रपत्र मूल्य सम्बन्धी नॉन रिफन्डेबिल शुल्क खाता सं0–**30394479590** में आर0टी0जी0एस0/हस्तान्तरण कराकर रसीद ई–निविदा के साथ पोर्टल पर अपलोड कराना अनिवार्य है।
2. ई–निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, बरेली को होगा।
3. मण्डी परिषद मुख्यालय के आदेश पत्रांकः मु0अभि0ग्रेड–2/(1168)/2022–641, दिनांक 11.08.2022 में उल्लिखित व्यवस्था एवं शर्तो के अधीन "अ" एवं "ब" श्रेणी की निविदाओं में मण्डी परिषद के अतिरिक्त समान श्रेणी में (लो0नि0वि0, आर0ई0डी0, यू0पी0आर0एन0एन0, यू0पी0पी0सी0एल0) में पंजीकृत

फर्म/ठेकेदार का पंजीकरण भवन कार्य के लिये भवन का पंजीकरण एवं मार्ग विकास कार्यो के लिये मार्ग विकास कार्यो का पंजीकरण होना अनिवार्य होगा तदानुसार निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रतिभाग करेंगे ।

4. परिषद पत्रांकःमु0अभि0–2/(1168/भाग–4/2005)/2022–1190 दिनांक 17.11.2022 द्वारा निविदाओं की पारदर्शिता बनी रहे तथा और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त हो सके, हेतु अन्य विभागों में पंजीकृत ('अ' श्रेणी, 'ब' श्रेणी) तथा विभाग में 'अ', 'ब', 'स' श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार Standard Bidding Documents (S.B.D) में Qualification of Bidders के section 4.6 में दी गई व्यवस्था के अनुसार निविदाओं में प्रतिभाग कर सकेंगे।
5. निविदा के साथ टी–4, टी–5, टी–6 तथा जी0एस0टी0, पेन कार्ड की फोटो प्रति नोटरी के द्वारा सत्यापित कर अण्डर टेकिंग के साथ संलग्न करना होगा तथा निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
6. मण्डी परिषद में पंजीकृत (अ) श्रेणी के ठेकेदार समस्त श्रेणी एवं (ब) श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार 'ब', 'स' एवं 'द' श्रेणी तथा 'स' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार जोन में 'स' एवं 'द' श्रेणी, तथा 'द' श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार मात्र 'द' श्रेणी की निविदाओं में प्रतिभाग कर सकेंगे।
7. 'द' श्रेणी की निविदाओं में 'द' श्रेणी में पंजीकृत अनुभव रहित ठेकेदार 20.00 लाख एवं अनुभवी ठेकेदार 40.00 लाख तक की निविदाओं में भाग ले सकेंगे।
8. ठेकेदार को निविदा के साथ रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर पंजीकरण के विरूद्ध वर्तमान में निर्माणाधीन अवशेष कार्यो की लागत का विवरण संलग्न करना होगा।
9. निविदा के साथ रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर रू0 1.00 रसीदी टिकट लगा हुआ तीन माह की वैद्यता अवधि के लिए लिखकर देना होगा।
10. निविदा टी–1 व टी–2 के अन्तर्गत वर्णित नियमों के अनुसार ही मान्य होगी।(अपलोड करना अनिवार्य होगा।)
11. अनुबन्ध में निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि तक कार्य पूर्ण करना होगा, यदि निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो टी–1 एवं टी–2 के अनुसार अर्थदण्ड अरोपित किया जायेगा। अकारण विलम्ब करने पर कोई दावा मान्य नही होगा।
12. मुख्य नियम व शर्त एवं सामान्य नियम व शर्ते कार्यालय अवधि में तथा वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर एवं उक्त निर्धारित अवधि में कार्यालय/ऑनलाइन देखी/डाउनलोड की जा सकती है।

10/04/2026

उपनिदेशक(निर्माण)
मण्डी परिषद, बरेली।

मुख्य नियम एवं शर्तेः– प्रकाशन के लिए नहीं

1. निविदा की वैधता 90 दिन होगी। वैधता की अवधि में निविदा को वापस नहीं किया जा सकेगा।
2. इच्छुक निविदादाता अधिक जानकारी कार्यालय उप निदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद, बरेली में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र वेवसाइट–**https://etender.up.nic.in** पर दिनांक 07.05.2026 की अपरान्ह् 03:00 तक डाउनलोड कर अपलोड किये जा सकते है।
3. ई–निविदा के साथ नान रिफंडेविल निविदा मूल्य उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, बरेली के नाम ऑनलाइन भारतीय स्टेट बैंक (**IFSC Code SBIN0005362**) के खाता सं0 **30394479590** में आर0टी0जी0एस0 से जमा कराकर जमा रसीद ई–निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा सूचना विवरणानुसार धरोहर धनराशि उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, बरेली के नाम ऑनलाइन भारतीय स्टेट बैंक (**IFSC Code SBIN0005362**) के खाता सं0 **30394479771** में जमा कराकर जमा रसीद ई–निविदा के साथ डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी सर्टिसाइंग प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।
6. वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की कटौती ठेकेदारों के देयकों से नियमानुसार की जायेगी।
7. लेबर सेस की कटौती ठेकेदारों के देयकों से नियमानुसार की जायेगी।
8. श्रम विभाग का पंजीकरण लगाना अनिवार्य होगा।
9. ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदा वेवसाइट–**https://etender.up.nic.in** पर सबमिट करने की अंतिम तिथि 07.05.2026 की अपरान्ह् 03.00 बजे तक तकनीकी बिड दिनांक 07.05.2026 की अपरान्ह् 05.00 बजे एवं तकनीकी विड उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त वित्तीय बिड अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में खोली जायेगी।
10. फाइनेशियल बिड खुलने के बाद सभी निविदादाताओं को वेबसाइट पर अपलोड किये शपथ–पत्र इत्यादि मूलरूप में कार्यालय में तत्काल जमा किया जाना अनिवार्य है।
11. निविदा टी–1 व टी–2 के अन्तर्गत वर्णित नियमों के अनुसार सामान कार्यो का अनुभव ही निविदा मान्य होगी।
12. जिन ठेकेदारों के अनुबन्धित कार्य समयानुपाल में अत्याधिक विलम्बित होगे एवं शासन की मंशा के अनुरूप डिफेक्ट लाईबिल्टी पूर्ण नही किया जा सकेगा उनकी निविदा मान्य नही होगी।
13. आई0टी0बी0 के अनुसार कोई भी निविदादाता जिनका सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी) खण्डीय लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत हो अथवा संयुक्त निदेशक (निर्माण) स्तर से अवर अभियंता स्तर तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) कार्यदायी खण्ड में कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के लिये योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ–पत्र भी दिया जायेगा, जिसमें उसके सम्बन्धियों के नाम तथा उनके पदनाम का उल्लेख होगा, जो कि कार्यदायी खण्ड एवं उससे संबंधित जोन में कार्यरत हो।
14. आई0टी0बी0 के अनुसार कोई अभियंता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासनिक विभाग में कार्यरत हो सेवानिवृत्ति की अवधि दो वर्ष के बाद तक सरकारी अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिये प्रतिबन्धित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है तो उनकी निविदा निरस्त की जा सकती है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
15. निविदा से सबंधित विवरण निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता ड्राईग, विशिष्टियों, मात्राओं का विवरण एवं ठेके की अन्य शर्तो जिनका ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना है, को संबंधित उप निदेशक (निर्माण) के कार्यालय में किसी कार्य दिवस में देखा जा सकाता है।
16. ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड है।, वह टेण्डर प्रकिया में भागीदारी नहीं कर सकेंगे।
17. कोई भी निविदादाता जो राज्य विधि काउन्सिल में पंजीकृत हो, निविदा में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित होगे। (निविदा डालने के योग्य नहीं होंगे) वह बार काउन्सिल का सदस्य नहीं है, ऐसे प्रमाण पत्र की प्रति अवलोड करना अनिवार्य है।
18. निविदा के साथ रू. 100 का स्टॉम्प पेपर रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षरयुक्त अपलोड कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. प्रत्येक निविदादाता को ई–निविदा के मूल्यांकन हेतु रू0 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र ऑनलाइन देना अनिवार्य है।
20. निविदा के साथ शासनादेश संख्याः 4435/छःपु0–14–06–50(7)/2006 दिनांकः 02.11.2006 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र टी0–4, हैसियत प्रमाण पत्र–टी0–5 प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्व–प्रमाणित एवं टी0–6 नोटरी द्वारा प्रमाणित मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. कार्यो की मात्रा में आवश्यकतानुसार विचलन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। जिसके लिये निविदादाता बाध्य होगा।
22. ठेकेदार निविदा देने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर लें।

23. विभाग किसी भी निविदा को कोई कारण बताये बिना अस्वीकृत/निरस्त कर सकता है।

24. ठेकेदार को भुगतान से पूर्व एम0एम0–11 मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा रायल्टी के अतिरिक्त श0स0 3385/86–2015–292/2015 दिनांक 15.10.2015 एवं प्रमुख अभियंता उ0प्र0 लोक0नि0वि0 (भवन विंग) लखनऊ के पत्रांक 1849/5 बी0पी0 विंग/2015 दिनांक 18.11.2015 के अनुसार रॉयल्टी का पॉच गुना ठेकेदार के देयक से वसूल कर लिया जायेगा।

25. पंजीकरण में दर्शाये गये तकनीकी स्टाफ के आधार, पैन कार्ड एवं ई0पी0एफ0 (यू0ए0एन0) संख्या की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

26. शासनदेश संख्या 746/36–2–14 दिनांक 07.06.2014 के कार्य के चालू देयको से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा–3 की उपधारा (1) के अन्र्तगत एक प्रतिशत उपकर सेस की कटौती की जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार को अनुबन्ध गठन के 15 दिवसों के अन्दर श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

27. निविदा स्वीकृति उपरान्त एक सप्ताह (7 दिवस में) अवशेष धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 प्रस्तुत कर, अनुबन्ध गठन कराना अनिवार्य होगा।

28. भवन निर्माण/भवन मरम्मत कार्यो हेतु जमानत धनराशि सम्पूर्ण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित मानक के अनुसार पूर्ण होने की वास्तविक दिनांक से छः माह पश्चात जिसमें एक वर्षा ऋतु सम्मिलित हो, कार्य के सन्तोषजनक स्थिति में बने रहने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

29. कार्य की 5 प्रतिशत जमानत धनराशि निर्माण कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि से कार्य समाप्ति के छः माह अथवा एक वर्षा ऋतु (इन दोनों में जो भी बाद में हो) बाद अवमुक्त की जायेगी। मार्ग कार्य की शेष (5 प्रतिशत) धरोहर धनराशि दोष निवारण अवधि (5 वर्ष) के बाद पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत होने पर ही वापस की जायेगी।

30. अन्य राजकीय विभागों में पंजीकृत निविदादाता की निविदा यदि प्रथम न्यून प्राप्त होती है तो मण्डी परिषद में पंजीकरण हेतु वॉछित समस्त अभिलेख एवं निर्धारित शुल्क सहित प्रार्थना पत्र 03 दिवस के अन्दर सम्बन्धित निर्माण खण्ड स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। पंजीकरण के सम्बन्ध में परिषद मुख्यालय से समय–समय पर निर्गत कार्यालय ज्ञाप एवं निर्देशों के अनुसार उपनिदेशक (निर्माण) द्वारा अपनी संस्तुति एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करनी होगी। परिषद मुख्यालय की समस्त कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण करा ली जायेगी।

31. W.B.M. सतह पर पी0सी0 का कार्य हॉटमिक्स प्लांट/मेकेनिकल पेवर से कराया जायेगा।

32. इस कार्य में मार्गो की दोष निवारण अवधि पॉच वर्ष है जिसमें नियमानुसार लेपन कार्य में अनुमन्य धनराशि का द्वितीय वर्ष में 1 प्रतिशत तृतीय वर्ष में 1.50 प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष 2.00 प्रतिशत तथा पंचम वर्ष में 3.00 प्रतिशत धनराशि का भुगतान तथा सी0सी0/इण्टरलॉकिंग कार्य में प्रथम वर्ष शून्य, द्वितीय वर्ष 0.25 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 0.50 प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष 0.75 प्रतिशत एवं पॉचवे वर्ष 1 प्रतिशत का भुगतान कार्य की संतोषजनक स्थिति में ही किया जायेगा तथा अन्य कोई भी शर्त परिषद के आदेशों के अधीन मान्य होगा। (7.5 प्रतिशत अनुरक्षण अवधि के लिये)

33. इस कार्य में मार्गो की दोष निवारण अवधि पॉच वर्ष है जिसमें नियमानुसार लेपन कार्य में अनुमन्य धनराशि का द्वितीय वर्ष में 2 प्रतिशत तृतीय वर्ष में 3.00 प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष 4.00 प्रतिशत तथा पंचम वर्ष में 6.00 प्रतिशत धनराशि का भुगतान तथा सी0सी0/इण्टरलॉकिंग कार्य में प्रथम वर्ष शून्य, द्वितीय वर्ष 0.25 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 0.50 प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष 0.75 प्रतिशत एवं पॉचवे वर्ष 1 प्रतिशत का भुगतान कार्य की संतोषजनक स्थिति में ही किया जायेगा तथा अन्य कोई भी शर्त परिषद के आदेशों के अधीन मान्य होगा। (15 प्रतिशत अनुरक्षण अवधि के लिये)

34. अनुरक्षण की अवधि कार्य समाप्ति की तिथि से प्रारम्भ हो जायेगी तथा उसके आगामी 5 वर्ष तक रहेगी, दोष निवारण की अवधि 5 वर्ष की होगी किन्तु पॉचवें वर्ष की समाप्ति पर यदि मार्ग की दशा संतोषजनक नहीं है तो दोष निवारण अवधि आगे जारी रहेगी, जब तक कि दोष निवारण अवधि पूर्णता प्रमाण पत्र (DLP complete Certificate) प्राप्त नहीं कर लिया जाता। बढ़ी हुई अवधि के लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। अतः धरोहर धनराशि पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत होने के उपरान्त ही देय होगी।

35. प्रथम वर्ष में यद्यपि कोई भुगतान नहीं किया जाना है किन्तु मार्ग दोष निवारण अवधि के अन्तर्गत होने के कारण ठेकेदार मार्ग को पूर्णरूपेण सही दशा में रखेगा।

36. कार्य में विलम्ब हेतु कोई औचित्यपूर्ण कारण न होने की स्थिति में टी–1 एवं टी–2 के अनुसार विलम्ब हेतु अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

37. सीमेन्ट (ओ0पी0सी0 43-ग्रेड) एवं सरिया भारतीय मानक संस्थान से प्रमाणित परफार्मेन्स (Fe-500) नियमानुसार बहु विख्यात कम्पनियों का ही प्रयोग किया जायेगा।

38. प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 महोदय के आदेश दिनांक 9 अगस्त 2024 के अनुपालन के क्रम में 10 प्रतिशत Below निविदाओं में कोई परफोर्मेन्स सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी तथा 10 प्रतिशत से अधिक Below निविदाओं में 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत की दर से अतिरिक्त परफोर्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी।

39. सम्पर्क मार्गो का निर्माण/मरम्मत कार्य हॉटमिक्स प्लांट द्वारा ही कराया जायेगा।

40. हॉटमिक्स प्लांट के केस में प्लाट की स्थिति कार्यस्थल से अनुमन्य सीमा (अधिकतम 50 कि0मी0) के अन्तर्गत ही मान्य होगा।

41. बिड कैपेसिटी में दर्शाये गये अवशेष कार्यों के सम्बन्ध में अवशेष कार्यों की लागत सहित सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।

42. परिषद पत्रांकः मु.अभि0–2/(1168/भाग–4/2005) /2022–1190 दिनांक 17.11.2022 द्वारा निविदाओंकी पारदर्शिता बनी रहे तथा और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त हो सकें हेतु अन्य विभाग समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को Standard Bidding Document (S.B.D.) में Qualification of Bidders के Section 4.6 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बिड कैपासिटी की गणना संलग्न कराना अनिवार्य होगा, जो निम्न प्रकार है:–

(F). Bid Capacity-The bidder should have the assessed available Bid capacity as per formula (2AN-B) should be greater than Estimated Value of the Work.

A= Maximum Value of Civil Engineering works executed in any one year during the last five years (updated to current Financial Year price level@8% a year) taking into account the completed as well as works in progress.

N= Number of years prescribed for completion of the works for which tenders are invited.

(N = 0.50 if time of completion of work is less then 6 months)

(=01 if time of completion is greater then 6 months and less then equal 12 months)

B= Vale of existing commitments and ongoing works to be completed during the period of completion of the project for which tenders are invited.

नोट :– If the bidder participates in more then one bid, the bid capacity for the second bid shall be calculated by deducting the work cost of first bid.

प्रकाशन के लिए नहीं

पृष्ठांकन सं0: /तद्दिनांक:

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद–शाहजहॉपुर एवं पीलीभीत।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), जनपद–पीलीभीत
3. अपर जिलाधिकारी (ई0), जनपद–शाहजहॉपुर
4. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद,उ0प्र0, लखनऊ। (मैसेज बाक्स)
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जनपद–शाहजहॉपुर एवं पीलीभीत।
6. संयुक्त निदेशक(निर्माण) जोन–2, मण्डी परिषद, नवीन मण्डी स्थल, पीलीभीत रोड, बरेली। (मैसेज बाक्स)
7. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 जनपद–शाहजहॉपुर एवं पीलीभीत।
8. उपनिदेशक(प्र0/वि0)/लेखाधिकारी, मण्डी परिषद, बरेली।
9. सचिव/सभापति, मण्डी समिति, पीलीभीत/पूरनपुर/जलालाबाद/शाहजहॉपुर/पुवायॉ एवं तिलहर।
10. समस्त उपनिदेशक(निर्माण), मण्डी परिषद, उ0प्र0।(मैसेज बाक्स)
11. समस्त पंजीकृत ठेकेदार मण्डी परिषद, बरेली।
12. सहायक अभियन्ता/संगणक/सम्बन्धित अवर अभियन्ता, मण्डी परिषद, बरेली को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित तिथि तक निविदा अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
13. सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by LALIT NARAYAN SINGH
Date: 2026.05.01 14:56:06 IST
Location: Uttar Pradesh-UP